


तारीख हुक्म	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  <b>श्रीमती आशालता शर्मा बनाम बाबूलाल अग्रवाल व अन्य</b>  <b>प्रार्थना पत्र संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1600</b></p>	<p>नम्बर व तारीख  अहकाम जो इस  हुक्म की तामील में  जारी हुए</p>
09.03.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रुक रुककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील माह सितम्बर वर्ष 2025 से बहस एडमिशन में ही चल रही है एवं अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त द्वारा अपील को आगे चलाये जाने में रुची नहीं होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलान्त की अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्त दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">   <b>(पूनम)</b>  संभागीय आयुक्त  जयपुर  जयपुर </p>	